

कार्यालय नगर पालिका मण्डल, बगरू-जयपुर (राज.)

क्रमांक/न.पा. बगरू/फायर/2019/20/2873

दिनांक 24/12/2020

प्रेषित .....

श्री आवेदक का नाम माईश्वरी पब्लिक स्कूल

पता SPL-224 रीकी इन्डस्ट्रीयल एरिया

फेज-II, बगरू (जयपुर)


विषय :- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।

प्रसंग:- आपका पत्रांक दिनांक 66/20-11-2020 के क्रम में।

आपके माईश्वरी पब्लिक स्कूल, रीकी बगरू का निरीक्षण किया गया निरीक्षण दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गये अतः उपरोक्तानुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है:-

शर्त :-

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से एक वर्ष कि अवधि के लिए मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराया जाना आवश्यक होगा अन्यथा अनापत्ति प्रमाण स्वतः निरस्त माना जायेगा।
2. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
3. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।
4. यदि राज्य सरकार द्वारा कोई नियम - उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
5. भवन का अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।
6. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पंप व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
7. फायर वाहन आसानी से जा सके इसके लिये खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
8. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोट पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
9. यह प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा के लिये ही मान्य होगा।
10. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घण्टे प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे।
11. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र मान्य नहीं होगा इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

  
अध्यासपी अधिकारी  
नगर पालिका बगरू